

राजस्व लोक अदालत मुकाम महुआखुर्द तहसील बनेड़ा
पीठासीन अधिकारी – श्री संजय माथुर
(आर.ए.एस.)

50/2016

उनवान

1. मोहनलाल पिता बालू जाट निवासी महुआखुर्द तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

(प्रार्थी)

बनाम

- 1 उदयराम पिता घीसा जाट निवासी महुआखुर्द तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
- 2 रामेश्वर पिता घीसा जाट निवासी महुआखुर्द तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
- 3 मंगर पिता देवीलाल जाट निवासी महुआखुर्द तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
- 4 नाराजीराम पिता कालु जाट निवासी महुआखुर्द तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
- 5 गोपाल पिता रामचन्द्र जाट निवासी महुआखुर्द तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
- 6 नन्दा पिता रामचन्द्र जाट निवासी महुआखुर्द तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
- 7 मोहन पिता रामचन्द्र जाट निवासी महुआखुर्द तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
- 8 नाथु पिता घीसा जाट निवासी महुआखुर्द तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
- 9 बट्टी पिता रामचन्द्र जाट निवासी महुआखुर्द तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
- 10 बालू पिता रूपा जाट निवासी महुआखुर्द तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
- 11 छीतर बलाई निवासी महुआखुर्द तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
- 12 कन्हैयालाल पिता नारायण लूहार निवासी महुआखुर्द तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
- 13 दुन्नीलाल पिता वीरम बलाई निवासी महुआखुर्द तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
- 14 गोपाल पिता मांगीलाल जाट निवासी महुआखुर्द तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
- 15 एस0बी0बी0जे शाखा बनेड़ा जरिये मेनेजर एस0बी0बी0जे शाखा बनेड़ा
- 16 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

(अप्रार्थीगण)

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 रा0भू0अधिनियम 1956 बाबत पत्थरगढ़ी कराने के।

:: निर्णय ::

दिनांक – 30.06.2016

वादी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 रा0भू0राजस्व अधिनियम 1956 के तहत न्यायालय मे दिनांक 30.06.2016 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सम्वत 2070 से 2073 की जमाबंदी अनुसार वाके ग्राम महुआखुर्द पटवार क्षेत्र महुआखुर्द भू0अ0निरीक्षक क्षेत्र महुआखुर्द तहसील बनेड़ा की कृषि भूमि खाता संख्या 543 के आ0न0 992/1, 1012, 1039/2 रकबा 07-06 बीघा स्थित हैं। उक्त वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ोसी हैं। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमा चिह्न नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता हैं। जिससे वादी अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराना चाहता हैं। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावे।


प्रस्तुत वादपत्र इस न्यायालय राजस्व लोक अदालत केम्प मुकाम महुआखुर्द मे दिनांक 30.06.2016 को पंजीबद्ध किया गया। विपक्षीगण द्वारा राजस्व लोक अदालत मे उपस्थित होकर कोई आपत्ति नही होना बताया। इस प्रकार विपक्षी की ओर से कोई उजरदारी पेश नही होने से स्पष्ट हैं कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद के विरुद्ध उनकी ओर से कोई आपत्ति नही हैं।

प्रस्तुत वाद के पक्ष पर पक्षकार को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर गौर किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य निर्विवादित प्रमाणित हैं कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण के खाते की कृषि भूमि हैं और इस प्रकार एक खातेदार अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का हकदार हैं। अतः लोक अदालत की भावना से प्रार्थनापत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता हैं।

:: आदेश ::

ग्राम महुआखुर्द पटवार क्षेत्र महुआखुर्द भू0अ0निरीक्षक क्षेत्र महुआखुर्द तहसील बनेड़ा की कृषि भूमि खाता संख्या 543 के आ0न0 992/1, 1012, 1039/2 रकबा 07-06 बीघा की पत्थरगढ़ी बशामलात पक्षकारान तहसीलदार बनेड़ा करावे। प्रार्थी इस कार्य के लिए भू0अ0निरीक्षक की कमिश्नर फीस 800/- रुपये पत्थरगढ़ी के समय मौके पर जमा करावे। राशि जमा होने पर विधिवत पत्थरगढ़ी की जावे।

निर्णय आज दिनांक 30.06.2016 को राजस्व लोक अदालत केम्प महुआखुर्द मे सरे इजलास सुनाया गया।


(संजय माथुर)
उपखण्ड अधिकारी,
बनेड़ा, जिला भीलवाड़ा